निर्णय बउजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण सं. 12/19
दायरा दिनांक :- 9-4-19
निर्णय दिनांक :- 30-6-22

उनवान

बाबूलाल पुत्र पुसेराम जाति बलाई निवासी उप बामला तह॰ बारां
हाल निवासी महावीर कॉलोनी बारां रोड खानपुर तह॰ खानपुर जिला झालावाड

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र पुसेराम जाति बलाई निवासी उप बामला तह॰ बारां
हाल चौथमाता मंदिर के पास प्रेमनगर तृतीय कोटा जिला कोटा
2- रामप्रताप पुत्र पुसेराम जाति बलाई निवासी बामला तहसील बारां हाल
महावीर कॉलोनी बारां रोड खानपुर तह॰ खानपुर जिला झालावाड -
3. कैलाशीबाई पुत्री पुसेराम पत्नी रतनलाल जाति बलाई निवासी बामला
तहसील बारां हाल ललोडिया तह॰ सांगोद जिला कोटा
4. गीताबाई पत्नी बालाशंकर जाति बलाई निवासी बामला तह॰ बारां
5- सुन्दरबाई पुत्री मोड्डू जाति बलाई निवासी बामला तह॰ बारां
6. राज॰ सरकार जरिये तहसीलदार बारां

प्रा॰ पत्र धारा - 212 RTA

~~निर्णय दिनांक~~ :- 30-6-22

संक्षिप्त प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ...
विरुद्ध अप्रार्थी गण के न्याया॰ मे इस आशय का पेश किया गया कि ...
प्रार्थी व अप्रार्थी गण के शामलाती खाते कब्जे काश्त की आराजी ख॰ ...
212 रकबा 1-32 हे॰ ग्राम बामला तह॰ बारां मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज च...
आ रही है। चूंकि आराजीयात शामलाती है इस कारण राजस्व लगान ...
एवं भूमि के विकास एवं काश्त व्यवस्था को लेकर पक्षकारो के मध्...
आये दिन विवाद लड़ाई झगड़े होते रहते है प्रार्थी भी अपने हिस्से ...
आराजी को बैंक मे रहन रखकर के सी.सी ऋण आदि प्राप्त करने एवं ...
भूमि को विकसित करने मे अ... करता है क्योंकि आराजी शा...
है। पक्षकारान भी ज्यादा ... अत्यधिक परेशानियों का ...
करना पड़ता है प्रार्थी ... 1 से 5 के उक्त आराजीयात का ...

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:53:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

में चलकर खाता पृथक कराने एवं राजस्व लगान पृथक से अंकित कराने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिपक्षीगण ने कोई सहयोग नहीं किया इस कारण प्रार्थी अपने हिस्से 1/16 को राजस्व रिकार्ड मे पृथक से दर्ज करवाकर पृथक लगान कायम करवाना चाहता है। प्रार्थी जब भी अपने हिस्से की 1/16 आराजी की काश्त करता है तो शेष प्रतिपक्षीगण उसकी काश्त व्यवस्था मे अनावश्यक बाधा दखलन्दाजी बेजा पैदा करते है, तथा कहते है कि तेरी आराजीयात को हम बैंक मे रहन रखकर के.सी.सी. ऋण प्राप्त करेंगे और अन्यत्र रहन बेचान करके खुर्द बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थी को अपनी सम्पत्ति के खुर्द बुर्द होने का पूर्ण अन्देशा हो गया है इस कारण प्रार्थी प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी एवं ख्वाहिशमंद है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यो पर आधारित है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है यदि प्रतिपक्षीगण अपने अनुचित अनाधिकृत एवं अवैधानिक उद्देश्यो मे सफल हो जाते एवं प्रार्थी के हिस्से की आराजी को बैंक मे रहन कर दिया या अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द कर दिया जावे प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी तथा उसके विधिक एवं सांपत्तिक अधिकारो का हनन होगा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्र. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। अप्रार्थी क्र. 2 ता 5 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम काफला संवत 2072-75 खाता सं. 196, पेश की गयी।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि बाबूलाल ने दौराने वाद सहखातेदारो के भूमि ट्रांसफर कर दी जो गलत है यानी भूमि रिलीज कर दिया जावे या जब तक बटवारा न हो स्टे कर दिया जावे। केवल हमारे हिस्से तक स्टे कर दिया जावे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के आपसी खातेदारी की भूमि है प्रार्थी पर कब्जे व लगान को लेकर आपसी लड़ाई झगड़ा होते रहते है यदि प्रार्थी के उक्त भूमि का बटवारा न हो तब तक स्टे कर दिया जावे। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि पक्ष के खिलाफ नहीं किया तो [illegible] पर जबरन कब्जा कर लेंगे। प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की [illegible] अप्रार्थीगण को कुछ भी का प्रार्थना पत्र स्वीकार तक पाबन्द किया जावे।

लगातार-

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:53:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा काउन्टर क्लेम के अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा गलत एवं मिथ्या व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है प्रार्थना पत्र के मु. स्वयं पक्षकार है बाबूलाल ने अपने हिस्से की भूमि का इंतकाल नहीं किया है, विवादित भूमि का बंटवारा कर दिया गया हम सेपरेट है, घर वर्षों से हमारी फसल काश्त कर रहे है नाप तोल कर भूमि का बंटवारा कर दिया गया। इनकी भूमि को हमने किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया है। T.P act का धारा 52 अंतर्गत वैधानिक या अवैधानिक है को किसी भी जगह भूमि ले सकता है अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थगन जारी नहीं किया जावे। अप्रार्थी द्वारा RRT 2013(2) पेज नं. 1108 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान अजमेर फिरन बनाम विजय कुमार, आर आर डी 2016 (1) पेज नं. 113 Board of Revenue for Rajasthan Ajmer, RRT 2014-15 (SUPP) पेज नं. 657 नजीरें पेश की गयी। उक्त नजीरें में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 RTA सिद्धांत के संबंध में पेश की है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

उभय अधिवक्ता व पक्षकारान को सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बामला तह. बारां संवत 2072-75 खाता सं. 196 के अनुसार ख.नं. 212 रकबा 1.32 हे. भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण सह खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है वादी/प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थगन आदेश चाहता है कि प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जे काश्त में नाजायज बाद किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे तथा अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि के हर कोने पर प्रतिवादी का हक हिस्सा है बिना बंटवारा कराये प्रार्थी किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है प्रतिवादी। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम में बाहमी बंटवारे के आधार पर कब्जा काश्त होना बताया है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य बाहमी बंटवारे के अनुसार [illegible] बताया है प्रार्थी अपने हिस्से पक्षकारान अपना अपना कब्जा [illegible] है प्रार्थी का उक्त विवादित एवं कब्जे काश्त तक [illegible] 1/16 तक स्थगन आदेश आराजी में 1/16 हिस्सा [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार तथा नाजायज बाद प्राप्त करने का अधिकारी [illegible] खारिज किया जाना न्यायोचित है →
अप्रार्थी का काउन्टर क्लेम

लगातार - 4

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:53:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी गण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है अप्रार्थी गण को जरिये इस फैसला बाद आइन्दा निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कानला तह. बारां के ख.नं. 212 रकबा 1.32 हे. मे प्रार्थी के हिस्से 1/16 तक काश्त करने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा एवं कब्जा न तो स्वयं करेगा और न ही अपने प्रतिनिधियों से करायेगा।

निर्णय लिखा जाकर दिए इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:53:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner